राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2158/2019

ओम प्रकाश शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर।
2. क्षेत्रीय उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, फल एवं सब्जी मंडी के पास, ब्यावर रोड, अजमेर।
3. राजकीय एगमार्क प्रयोगशाला, कृषि मंडी, झिलाय रोड, निवाई, तहसील निवाई, जिला टोंक।
4. निदेशक, पेंशन एवं कल्याण विभाग, ज्योति नगर, जयपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.08.2019
आदेश की दिनांक : 01.07.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिनेश सैनी, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 01.06.2019 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2016 से प्रदान किये जावे ओर पेंशन परिलाभ आदि पुनर्निधारित करते हुए समस्त लाभ प्रदान कर शेष राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति रसायन सहायक के पद पर दिनांक 06.02.1982 को हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसे निवाई टोंक स्थानांतरित किया गया ओर दिनांक 30.06.2016 को अधिवार्षिकीय आयु प्राप्त कर अपीलार्थी राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी को दिनांक 01.07.2015 को अंतिम वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया परन्तु अपीलार्थी को आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2016 का लाभ नही दिया गया ओर अपीलार्थी दिनांक 30.06.2016 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया जबकि अपीलार्थी सेवानिवृत्ति से पूर्व एक जुलाई 2016 को एक वार्षिक वेतन वृद्वि प्राप्त करने का अधिकारी था परन्तु विभाग द्वारा उसे उक्त लाभ से वंचित रखा गया। ऐसे प्रकरण में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पीएईएम पैरूमल बनाम भारत सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.09.2019 में जिसमें सेवानिवृत्ति से पूर्व एक वर्ष की सेवापूर्ण होने पर कार्मिक को एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाना उचित माना है। इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी ऐसे मामलों को उचित माना गया है। इस प्रकार अपीलार्थी भी एक वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त करने का हकदार है, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त लाभ दिये जाने से वंचित रखा गया। अपीलार्थी ने अपने विद्धान अधिवक्ता द्वारा न्याया की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित करते हुए अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 01.06.2019 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2016 से प्रदान किये जावे और पेंशन परिलाभ आदि पुनर्निधारित करते हुए समस्त लाभ प्रदान कर शेष राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी दिनांक 01.07.2016 को राजकीय सेवा में नहीं था। चूॅकी वह दिनांक 30.06.2016 को सेवानिवृत्त हो चुका है। इसलिए दिनांक 01.07.2016 को वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होती है, क्योंकि कर्मचारी सेवा में नहीं है। यदि एक जुलाई कर्मचारी कार्यरत है तो उसे वार्षिक वेतन वृद्धि दी जायेगी जबकि अपलार्थी एक जुलाई को राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं था। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाहा गया निराधार है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति रसायन सहायक के पद पर दिनांक 06.02.1982 को हुई थी। अपीलार्थी दिनांक 30.06.2016 को अधिवार्षिकीय आयु प्राप्त कर वह राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। अपीलार्थी को दिनांक 01.07.2015 को अंतिम वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया परन्तु अपीलार्थी को आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2016 का लाभ नही दिया गया और अपीलार्थी दिनांक 30.06.2016 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया जबकि अपीलार्थी सेवानिवृत्ति से पूर्व एक जुलाई 2016 को एक वार्षिक वेतन वृद्वि प्राप्त करने का अधिकारी था, परन्तु विभाग द्वारा उसे उक्त लाभ से वंचित रखा गया। जहां तक अपीलार्थी दिनांक 30.06.2016 को अधिवार्षिकी आयु पश्चात् सेवानिवृत्त होने पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिए जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी दिनांक 30.06.2016 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है और इस प्रकार अपीलार्थी सेवानिवृत्त होने से पूर्व 01 जुलाई से 30 जून तक एक वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी है और सेवा नियमों के अनुसार विभाग द्वारा एक जुलाई से वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार अपीलार्थी भी एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार के मामलों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 21/2020 में पारित निर्णय दिनांक 21.07.2023 जिसमें निम्नलिखित आदेश पारित किया है :–

> *"Hence, looking to the binding effect of above judgment of Hon'ble Apex Court in the case of* ***C.P. Mundinamani (supra)*** *and* ***All India Judges Association (supra),*** *it is held that the petitioners would be entitled to get the benefits of increment falling due on 1st July on account of their conduct for the requisite length of time i.e. one year. The petitioners would be entitiled to get notional payment on 1st July, notwithstanding their superannuation on 30th June.*
>
> *The respondents are directed to consider the case of the petitioners afresh in the light of the observations made hereinabove and thereafter grant notional increment to the petitioners. The petitioners pension would consequently be refixed. The appropriate orders be*

issued and the arrears of pension be paid to the petitioners within a period of three months from the date of receipt of certitifed copy of this order."

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने उपरांत सेवानिवृत्ति होने पर एक जुलाई से देय वार्षिक वेतन वृद्धि कार्मिक को नहीं दिया जाना अनुचित माना है। वर्तमान मामले में भी अपीलार्थी संतोषजनक सेवा पूर्ण होने उपरांत राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को एक जुलाई से देय वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी अपील में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी को इस आदेश के जारी होने की दिनांक से एक माह में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.07.2023 के प्रकाश में नियमानुसार आगामी दो माह की अवधि में अभ्यावेदन को निस्तारित करते हुए एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

अतः उपर्युक्तानुसार मय स्थगन प्रार्थना पत्र के उपर्युक्त निर्देश के साथ अपील अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य